राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह और उनके सी.डी.ओ. व फेडरेशन को, को–ओप्ट करने के लिए पॉलिसी

भूमिका

राजस्थान में विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह के फेडरेशन, सी.डी.ओ./वी.ओ./क्लस्टर और स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। राजस्थान में विधमान **महिला** स्वयं सहायता समूह, सी.डी.ओ./वी.ओ./क्लस्टर और फेडरेशन को चिन्हित कर व उनका मूल्यांकन करके उन्हें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अन्तर्गत **महिला** स्वयं सहायता समूह, सी.डी.ओ./उत्थान संस्थान और एरिया फेडरेशन के रुप में को–ओप्ट/अंगीकार किया जा सकता है। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया को अपनाया जायेगा।

अ. स्वयं सहायता समूह

कोई भी **महिला** स्वयं सहायता समूह जो कि निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करता हो, उनका को–आप्शन किया जा सकता है।

1. पात्रता :

- **महिला** स्वयं सहायता समूह कम से कम 3 माह पुराना हो।
- ऐसा **महिला** स्वयं सहायता समूह जो नया गठित किया गया है उसकी कम से कम 12 मीटिंग हुई हो।
- **महिला** स्वयं सहायता समूह पंच सूत्रों में से कम से कम 3 सूत्रों की पालना करता हो।
    - ✓ नियमित बैठकें– कम से कम 75 प्रतिशत बैठके हुई हो जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिती हुई हो।
    - ✓ नियमित बचत– कम से कम 75 प्रतिशत बचत हुई हो।
    - ✓ आन्तरिक लेनदेन – कुल राशि का कम से कम 70 प्रतिशत लेनदेन।
    - ✓ निर्धारित समय पर वापसी– कम से कम 70 प्रतिशत निर्धारित समय पर वापसी।
    - ✓ अपडेटेड लेखा संधारण किया हो।
- बचत बैंक खाता खुला हो।

2. महिला स्वयं सहायता समूह को–ओप्शन की प्रक्रिया :–

1. यदि किसी गॉव मे सी.आर.पी. राउण्ड चल रहा है तो सी.आर.पी टीम गॉव मे उपस्थित सभी **महिला** स्वयं सहायता समूह की एक सूची तैयार करेगा।
2. सूची तैयार करने के बाद प्रत्येक **महिला** स्वयं सहायता समूह की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमे समूह की स्थिती का अवलोकन किया जायेगा तथा पात्र पाये गये समूहों कोऑप्ट करने की प्रक्रिया को नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण किया जायेगा।
3. प्रपत्र पूर्ण करने के पश्चात सी.आर.पी. टीम सम्बन्धित पीएफटी टीम को जानकारी प्रेषित करेगा।
4. यदि किसी गॉव में सी.आर.पी राउण्ड आयोजित नहीं हैं तो सम्बन्धित पी.एफ.टी के द्वारा उक्त कार्य को नियमानुसार पूर्ण किया जायेगा।
5. चूंकि समूह बनना एक सतत् प्रक्रिया है और परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं को समूह से जोडा जाये इसलिये समूह को–ओप्शन की प्रक्रिया भी सतत् रहेगी।

6. **महिला** स्वयं सहायता समूह आर.जी.ए.वी.पी. में जुडने हेतु पहले समूह की बैठक में इस बावत् एक प्रस्ताव पारित करेगा जिसमें सभी सदस्यों की सहमति होगी।
7. आर.जी.ए.वी.पी. समुदाय परिचालन निर्देशिका (community operational Manual) में दिये गये प्रपत्र–12 और 13 के अनुसार को–ऑप्ट करने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

3. को–ओप्टेड, स्वयं सहायता समूह को सहयोग :–

- सी.डी.ओ से ऋण : **महिला** स्वयं सहायता समूह को–ऑप्ट होने के बाद निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आर.जी.ए.वी.पी. से सी.डी.ओ के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- पंच सूत्र की पलना करने वाले **महिला** स्वयं सहायता समूहों को आर.जी.ए.वी.पी. विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
- को–ऑप्टेड, समूहों की विभिन्न स्तरों पर क्षमता वर्धन से सम्बन्ति जरूरतों का आंकलन कर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अपनी परियोजनाओं के अर्न्तगत उसकी क्षमता निर्माण में सहयोग कर सकेंगे।

4. को–ओप्टेड, स्वयं सहायता समूह से सहयोग

- पंच सूत्र की पालना करेंगे और सी.डी.ओ की बैठक में नियमित उपस्थित होंगे।
- बैंक व सी.डी.ओ. के माध्यम से मिलने वाले ऋण का सदउपयोग और समय से ऋण वापसी सुनिश्चित करेंगे।

ब. स्वयं सहायता समूह के उत्थान संस्थान/सी.डी.ओ./वी.ओ./क्लस्टर :

जहां पर सी.डी.ओ./वी.ओ./क्लस्टर हैं उन्हें को–ऑप्ट करने के लिये –

1. सी.डी.ओ/क्लस्टर को–ऑप्शन की पात्रता :

- सी.डी.ओ/क्लस्टर कम से कम 6 महिने पुराना हो व उसकी कम से कम 4 नियमित मासिक बैठक हुई हो।
- सी.डी.ओ/क्लस्टर में कम से कम 75 प्रतिशत समूह को–ओप्ट हो।
- उसकी लीडरशिप में 3 में से 2 लीडर को–ओप्टेड समूहों से हो।
- सी.डी.ओ/क्लस्टर में बैठक रजिस्टर उपलब्ध हो।
- सी.डी.ओ/क्लस्टर की नियमित मासिक बैठक में 75 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिती होना अनिवार्य है।

2. सी.डी.ओ/क्लस्टर को–ऑप्शन की प्रकिया :

1. पंचायत में उपस्थित सभी सी.डी.ओ/क्लस्टर की एक सूची सी.आर.पी. टीम/पी.एफ.टी तैयार करें।
2. सूची तैयार करने के बाद प्रत्येक सी.डी.ओ/क्लस्टर की बैठक आयोजित कर उसमें सी.डी.ओ/क्लस्टर की स्थिती का अवलोकन करें।
3. तैयार सी.डी.ओ/क्लस्टर की सूची के अनुसार डी.पी.एम. यू के द्वारा सभी क्लस्टर/सीडीओ के साथ बैठक कर उसकी पात्रता का आंकलन करेंगे।

4. पात्र पाये गये सी.डी.ओ/क्लस्टर को–ऑप्ट करने के लिये सी.डी.ओ/क्लस्टर से सहमति प्राप्त करें कि वह राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के नियमानुसार कार्य करने को सहमत हैं।
5. क्लस्टर/सी.डी.ओ आर.जी.ए.वी.पी. में जुडने हेतु पहले क्लस्टर/सी.डी.ओ की बैठक में इस बावत् एक प्रस्ताव पारित करेगा जिसमें सभी सदस्यों की सहमति होगी।
6. सी.डी.ओ/क्लस्टर **द्वारा** सभी सदस्यों की सहमति से पारित प्रस्ताव ही को–ऑप्शन का आधार होगा। सहयोग के लिए आर.जी.ए.वी.पी. पर सी.डी.ओ. के साथ समुदाय परिचालन निर्देशिका (community operational Manual) में दिये गये प्रपत्र–32 के अनुसार अनुबन्ध करेंगे।

को–ओप्सन के बाद को– ओप्टेड सी.डी.ओ अपनी कार्य प्रणाली निम्न अनुसार बदलेगा :

गांव या ग्राम पंचायत में उत्थान संस्थान न्यूनतम 5 स्वयं सहायता समूहों से लेकर अधिकतम 15–20 तक स्वयं सहायता समूह सदस्य होंगे। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्थान संस्थान के लिए 2 सदस्य नामित करेंगे जिसमें एक सदस्या समूह के मुखिया में से होगी और दूसरी सदस्या समूह के मुखिया के अलावा होगी। ऐसा एक सदस्य एक वर्ष की नियत अवधि के लिए उत्थान संस्थान का स्थाई सदस्य होगा। जबकि दूसरे सदस्य की सदस्यता क्रमिकता के सिद्धान्त पर आधारित होगी। क्रमावर्ती रूप से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व से सभी समूहों को उत्थान संस्थान का कार्यानुभव प्राप्त होगा और इसकी प्रक्रिया को समझाा जा सकेगा।

प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि उत्थान संस्थान की कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। उत्थान संस्थान अपनी कार्यकारिणी की मासिक बैठक आयोजित करेगा। कार्यकारिणी उत्थान संस्थान के नियमों–उपनियमों को तैयार करेगी और उत्थान संस्थान की उपसमितियों को गठित करेगी।

उत्थान संस्थान के उद्देश्य –

- परियोजना की क्रियान्विति में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना,
- सर्वाधिक गरीब और जोखिमपूर्ण परिवारों को **महिला** स्वयं सहायता समूहा से जोडकर उनका सबलीकरण करना,
- परियोजना की गतिविधियों और संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण समुदाय को देना,
- स्वयं सहायता समूहों टूटने से बचाकर उन्हें स्थायित्व प्रदान करना,
- स्वयं सहायता समूहों को हेन्ड होल्डिग सर्पोट देना,
- गरीबों में मोलभाव की क्षमता का विकास करना।

उत्थान संस्थान की भूमिकाएं–

साथियों के बीच सीखना व समीक्षा

- अनुभव अदान प्रदान हेतु फोरम
- सामूहिक ज्ञान व नेतृत्व क्षमता का विकास
- स्वयं सहायता समूह के कार्य निष्पादन की समीक्षा
- आन्तरिक ऋण व बैंक ऋण का प्रबन्धन व निगरानी
- सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं का सामूहिक प्रबंधन
- आजीविका निवेश फंड का प्रबन्धन करना
- बही लेखकों के कार्य निष्पादन का आंकलन

- झगडों का निबटारा
- उत्थान संस्थान की कार्यकारिणी व उपसमितियों को उनके दायित्वों व जिम्मेदारियों को सौपना।

उत्थान संस्थान की सदस्यता–

स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य मिलकर उत्थान संस्थान की आम सभा के रूप में संघटित होंगे। स्वयं सहायता समूह परियोजना के तहत पंजीकृत होंगे और पिछले 3 माह में उनकी नियमित बैठकों का आयोजित किया जाना भी अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के लिए उत्थान संस्थान की सदस्यता लिया जाना या संस्थान द्वारा नियत सदस्यता शुल्क अदा किया जाना होगा। स्वयं सहायता समूह की उत्थान संस्थान में बचत जमा करने की रूचि व इच्छा होनी चाहिए। बचत की राशि उत्थान संस्थान के साथ मिलकर तय की जायेगी।

साधारण सभा–

सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्य ही उत्थान संस्थान की साधारण सभा के रूप में संघटित होंगे। उत्थान संस्थान द्वारा वर्ष में एक बार साधारण सभा की बैठक आयोजित की जायेगी। शासी निकाय (कार्यकारिणी) के दो तिहाई सदस्य भी आवेदन देकर साधारण सभा की बैठक बुला सकते है। साधारण सभा की बैठक कार्यकारिणी के अध्यक्ष द्वारा बुलायी जा सकेगी। साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से कार्यकारिणी को भंग कर सकेगा, नये चुनाव करा सकेगा या कार्यकारिणी द्वारा लिये निर्णयों को निरस्त कर सकेगा। साधारण सभा कार्यकारिणी के कार्यो की समीक्षा कर सकेगा और वह कार्यकारिणी के निर्णयों व सार्वजनिक फण्ड के प्रति जवाबदेह होगा।

शासी निकाय (कार्यकारिणी) –

प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि उत्थान संस्थान की कार्यकारिणी के रूप में संघटित होंगे। कार्यकारिणी में कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 40 सदस्य होंगे। कार्यकारिणी में कुल 5 स्वयं सहायता समूहों के सदस्य के रूप में शामिल होने की स्थिति में, स्वयं सहायता समूह द्वारा कार्यकारिणी के लिए दो–दो सदस्य मनोनीत किये जायेंगे।

कार्यकारिणी सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा और विशेष परिस्थितियों में यह कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष तक बढाया जा सकेगा। कार्यकारिणी द्वारा ही उत्थान संस्थान की भावी दृष्टि, मिशन और उद्देश्यों को तैयार किया जाएगा। दस्तावेज में उपर्युक्त वर्णित उत्थान संस्थान के कार्य भूमिकाओं के अनुरूप कार्यकारिणी साधारण सभा की ओर से निर्धारित कार्यो को संपादित करेगी। कार्यकारिणी द्वारा ही उत्थान संस्थान की मासिक बैठकों की कार्य सूची तैयार की जायेगी। साधारण सभा द्वारा अधिकृत कार्यकारिणी परियोजना के मार्ग निर्देशें के अनुरूप व देश व राज्य के कानूनी प्रावधानो से संगति बैठाते हुए तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सर्वोच्च मानते हुए सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। कार्यकारिणी द्वारा उत्थान संस्थान के उपनियम तैयार किये जायेगे। कार्यकारिणी द्वारा उत्थान संस्थान के पदाधिकारी चुने जायेगे और उप समितियां गठित की जायेगी।

पदाधिकारी

उत्थान संस्थान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव के रूप में पदाधिकारी होंगे। प्रत्येक के लिए विशिष्ट करणीय कार्य होंगे। कार्यकारिणी मे दो तिहाई बहुमत से ही सभी पदाधिकारी चुने जायेगे। कार्यकारिणी को किसी भी निर्वाचित सदस्य को कार्य संपादन के प्रति लापरवाह, दुर्व्यवहार, दुर्विनियोजन, गबन या किसी भी प्रकार के धोखे का दोषी पाए जाने पर निकाले जाने का अधिकार होगा।

उपसमितियां

दैनिक कार्यो में कुशलता एवं प्रभावपूर्णता को बढाने के क्रम में उत्थान संस्थान उप–समिति का गठन करेगा। उत्थान संस्थान के कार्यो, इसकी जरूरतों और कार्य के स्तर के अनुरूप इन समितियों का गठन किया जाएगा। उत्थान संस्थान अपनी भूमिकाओं के मद्देनजर संस्थान द्वारा संलग्नक–1 समूह मूल्यांकन, जाखिम, समाजिक उपसमितियों का गठन किया जाएगा। क्षेत्रीय आवश्यक्ताओं के अनुसार अन्य उप–समितियों का भी गठन किया जा सकता है जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासी उपसमिति का गठन।

3. को–ओप्टेड, सी.डी.ओ को सहयोग :–

को–ऑप्टेड, सी.डी.ओ को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा उसकी परियोजना से निर्धारित मापदण्डों के अधार पर सहयोग देगी।

4. को–ओप्टेड, सी.डी.ओ से सहयोग

- अपने अर्न्तगत आने वाले स्वयं सहायता समूहों को सहयोग व उनका र्मागदर्शन में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की मदद करेगी।
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा दिये जाने वाली धनराशी को परियोजना के नियमानुसार स्वयं सहायता समूहों को ऋण के रूप में देकर असका सदउपयोग सुनिश्चित करेगा।

स. स्वयं सहायता समूह फेडरेशन/संघ :

1. क्षेत्रीय संघ/ फेडरेशन की परिभाषा :

महिला–सबलीकरण के उद्देश्यों को और आगे बढाने और निश्चित भू क्षेत्र में उनकी आर्थिक गतिविधियों को स्थिरता व स्थायित्व देने के प्रति संकल्पित स्वयं सहायता समूहों और उत्थान संस्थान का पूरा नेटवर्क क्षेत्रीय संघ का हिस्सा होगा। यह एक प्रजातांत्रिक निकाय के रूप में होगा जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों के सामूहिक हित और आय–बेहतरी के कार्य एक साथ जुड़े होंगे। यह संघ स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों से अपने समुदायों की जरूरतों को पहचानने और अपने गांवों के राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भागीदारी का आहान करता है। विद्वानों और संसाधन एजेंसियों द्वारा संघ को निम्नाकिंत रूप से परिभाषित किया गया है :

''स्वयं सहायता समूह का संघ प्रजातांत्रिक निकाय होगा। यह अनेक स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर बना एक बडा समूह होगा जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता हो और जो समान हित से जुडे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य समूहों के साथ मिलकर एकजुट प्रयास करे, जिन व्यापक उद्देश्य व सरोकारों की प्राप्ति निजी समूहों के प्रयास से की जानी संभव न हो। सारतः स्वयं सहायता समूह का यह संघ समूहों द्वारा और समूहों के लिए ही संघटित होगा।''

''यह स्वायत्तशासी निकायों का एक मंडल होगा जोकि सामूहिक व प्रत्यक्ष हितों के लिए एकजुट प्रयास करता हो।''(FWWB, 1987)

2. स्वयं सहायता समूह फेडरेशन की वैधानिक पहचान :

स्वयं सहायता समूह फेडरेशन किसी भी उपयुक्त लीगल फ्रेम वर्क जैसे राजास्थान सोसाइटी एक्ट 1958, राजास्थान को–ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट 2001, राजास्थान पबलिक ट्रस्ट एक्ट 1959, इनडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 आदि में पंजीकृत हो सकता है।

3. विधमान स्वयं सहायता समूह फेडरेशन की पहचान करने की प्रक्रिया

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजस्थान विभिन्न जिलों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह फेडरेशन को डी.पी.एम.यू., आर.जी.ए.वी.पी. के वेबसाईट, स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य संस्थानों के माध्यम से सूचीबद्ध कर सकते है।

4. पहले से विधमान स्वयं सहायता समूह फेडरेशन को, को–ओप्ट करने का आधार

स्वयं सहायता समूह फेडरेशन को सूचीबद्ध करने के बाद स्वयं सहायता समूह फेडरेशन निम्नलिखित आधार पर **को–ओप्ट** किये जा सकते है।

- स्वयं सहायता समूह फेडरेशन कम से कम 24 माह से कार्य कर रहा हो।
- उसकी सदस्यता में कम से कम 100 कार्यशील स्वयं सहायता समूह हो जिनमें से, कम से कम 50 प्रतिशत समूहों के बैंक में बचत खाते हों।
- उनकी लिखित नियमावली हो (बायलाज)।
- पिछले 12 माह में उसकी कार्यकारणी (एक्जीक्यूटीव कमेटी) की बैठकें : उनके बायलाज के अनुसार कम से कम 80 प्रतिशत बैठकें हुई हों।
- प्रत्येक कार्यकारिणी मिटिंग में कम से कम 70 प्रतिशत उपस्थिति हो।
- स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त सेवा के लिये फेडरेशन को शुल्क दिया जा रहा हो।
- कम से कम एक साल की ऑडिट रिपोर्ट हो।
- स्वयं सहायता समूह फेडरेशन उसके सदस्यों द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधी द्वारा संचालित हो।

5. स्वयं सहायता समूह फेडरेशन का चयन

- 3 सदस्यी टीम (2 सदस्य डीपीएमयू, 1 एस.पी.एम.यू. से) द्वारा स्वयं सहायता समूह फेडरेशन का आंकलन करेगी। यदि फेडरेशन एक से अधिक जिलो में कार्यरत है तो, ऐसे में जिलों के सभी डी.पी. एम. इस प्रक्रिया में शामिल होंगे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। राज्य स्तर पर स्टेट मिशन डायरेक्टर के निर्देशन में गठित तीन सदस्यी कमेटी फेडरेशन के आंकलन रिपोर्ट पर अपनी राय देकर को–ओप्शन के लिए प्रस्तुत करेगी।
- पात्र पाये गये फेडरेशन को को–ऑप्ट करने के लिये संबन्धित डी. पी. एम. फेडरेशन से उसकी कार्यकारिणी की बैठक में सहमति प्राप्त करेंगे। कि फेडरेशन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की परियोजना के अनुसार कार्य करने और यदि आवश्यक हुआ तो अपने विधान में परिवतर्न करने को सहमत हैं।
- यदि उपरोक्त दिये गये मापदण्डों के आधार पर स्वयं सहायता समूह फेडरेशन का को–ऑपशन के लिए चयन होता है तो उसके अर्न्तगत आने वाले सी.डी.ओ./वी.ओ./क्लस्टर और स्वयं सहायता समूहों को नियमानुसार को–ऑप्ट किया जायेगा।
- को–ऑपशन के बाद स्वयं सहायता समूह फेडरेशन, उसके अर्न्तगत आने वाले सी.डी.ओ./वी.ओ. /क्लस्टर और स्वयं सहायता समूहों को आर.जी.ए.वी.पी के निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर ही राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संचालित परियोजना में सहयोग के लिए शामिल किये जा सकेंगे।

को–ऑपशन के बाद स्वयं सहायता समूह फेडरेशन को निम्न प्रकार संगठन में परिवर्तन करेगे –

- एक फेडरेशन/संघ में पी.एफ.टी. परिक्षेत्र के 15 से 20 उत्थान संस्थान शामिल होंगे। स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य इस संघ की साधारण सभा के भी सदस्या होंगे। प्रत्येक उत्थान संस्थान संघ के लिए अपना एक प्रतिनिधि मनोनीत करेगा जो संघ की गठित कार्यकारिणी का सदस्य होगा।
- यह फेडरेशन/संघ एक विविध निकाय भी होगा जो अपने सदस्यों के साथ परामर्श से संघ के नियमों–उपनियमों को तैयार करेगा। यह संघ पूर्वनियत कार्यो और संघ की आवश्यकता के आधार पर सहाकारी संस्था अथवा उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होगा।
- फेडरेशन/संघ द्वारा अपने सदस्यों द्वारा आम सहमति से लिये निर्णय के अनुरूप मासिक बैठक आयोजित की जायेगी।
- फेडरेशन/संघ की निम्नांकित भूमिकाएं होगी :
    - फेडरेशन/संघ द्वारा अपने सदस्यों को वित्तीय सेवाएं यथा, बीमा, धन प्रेषण, साख आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना।
    - वित्तीय संस्थानों के साथ संबंध स्थापित करना।
    - स्वयं सहायता समूह सम्बन्धी टकराव व अनवन की स्थितियों को सुलझाना जो उत्थान संस्थान के स्तर पर संबोधित नहीं की जा सकीं हों।
    - स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के क्षमता निर्माण और उसकी स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सम्बन्धी जागरूकता के लिए तकनीकि कुशलता प्राप्त करना।
    - समूहों के गठन व लघुवित्त के माध्यम से कार्यों को करने की प्रवृत्ति को बढाना।
    - सालना तौर पर स्वयं सहायता समूह और संकुलों का अंकेक्षण और सुनिश्चित करना कि वे अपना लेखा सही और व्यवस्थित रूप से रखें।
    - पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
    - संस्थान को उत्तरोत्तर बढावा देने की भूमिका हाथ में लेना।

6. <u>को–ओप्टेड, स्वयं सहायता समूह फेडरेशन को सहयोग</u> :–

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, को–आप्ट स्वयं सहायता समूह फेडरेशन को परियोजना से निर्धारित मापदण्डों (प्रपत्र–47)के अधार पर परियोजना में देय सहयोग देगी।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (संलग्नक–1) के अनुसार सहमती ज्ञापन/एम.ओ.यू., आपसी सहमत शर्तो पर प्रत्येक सहयोगी की विशेष भूमिका को शामिल करते हुए उसकी क्षमता निर्माण करेगा।

7. **<u>को–ओप्टेड, स्वयं सहायता समूह फेडरेशन से सहयोग</u> :–**

- को–ओप्टेड, स्वयं सहायता समूह फेडरेशन, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को उसकी परियोजनाओं में सी.आर.पी व पी.आर.पी. का सहयोग करेगी।
- अपने अर्न्तगत आने वाले सी. डी. ओ. और स्वयं सहायता समूहों को सहयोग व उनका र्मागदर्शन में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की मदद करेगी।

संलग्न A

वर्तमान स्वयं सहायता समूह संबंधी जानकारी

समूह का नाम.....

समूह का गठन दिनांक.....

ग्राम पंचायत.....गांव.....

जिला:.....

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	जति	आयु	पद	हस्ताक्षर
1.					अध्यक्ष	
2.					सचिव	
3.					कोशाध्यक्ष	
4.					सदस्य	
5.					सदस्य	
6.					सदस्य	
7. .					सदस्य	
....					सदस्य	
....					सदस्य	
.....					सदस्य	
.....					सदस्य	
.....					सदस्य	

नोटः जाति के कालम में अनु.जा./अनु.ज.जा./ओबीसी/सामान्य लिखें।

प्रपत्र –12

स्वयं सहायता समूह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

समन्वयक, दिनांकः

पी.एफ.टी.

क्लस्टर क्षेत्र का नाम..... खण्ड..... जिला.....
.....

विषय : स्वयं सहायता समूह के राजीविका में पंजीकरण हेतु आवेदन।

हम यह घोषणा करते है कि हमने आपस में प्रजातांत्रिक रूप से चर्चा कर अपने समूह को स्वयं सहायता समूह के रूप में पजीकृत कराने का निर्णय लिया है। हम सहमति व्यक्त करते है कि–

1. हम सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह के सभी कार्यो के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि कोई वित्तिय दायित्व निर्वहन की स्थिति बनती है तो हम उसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार करते है।
2. सभी सदस्य साप्ताहिक बैठक में प्रत्येक.....को मिलेगा।
3. सभी सदस्य बचत करेंगे और सभी सदस्यों में लाभांश को वितरित करेंगे।
4. सभी अभिलेख सही रूप से संधारित करेंगे और अन्य सदस्यों व ग्राम सभा को भी इसके संबंध में सूचित करेंगे।
5. यदि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कोई विसंगति पाई जाती है तो हम भविष्य में कोई हमसे संबंधित विवरण निम्नांकित है–
   स्वयं सहायता समूह का नाम :.....
   कृपया हमारे समूह को स्वयं सहायता समूह के रूप में पंजीकृत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट –ए में संलग्न है।

समूह की

अध्यक्षा के हस्ताक्षर

पी.एफ.टी. द्वारा सत्यापन

मैनें स्वयं सहायता समूह की बैठक में दिनांक.....को..... .....(स्थान) पर भाग लिया है। मैं यह सत्यापित करता हूँ कि समूह की बैठक के दौरान कुल.....सदस्य नियत की गई बचत राशि जमा करा रहे है। मै इस समूह के पंजीयन की अनुशंसा करता हूं।

पी.एफ.टी. का नाम व हस्ताक्षर

दिनांक.....

प्रपत्र –13

स्वयं सहायता समूह पंजीकरण प्रमाण पत्र

गांव का नाम..... कोड़.....

गांव में गठित स्वयं सहायता समूह की क्रम संख्या..... कोड़.....

स्वयं सहायता समूह का प्रकार..... कोड़.....

स्वयं सहायता समूह में कुल सदस्यों की संख्या.....कोड़.....

पुराना या नया स्वयं सहायता समूह.....कोड़.....

स्वयं सहायता समूह की पंजीयन संख्या.....

परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रबंधक का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : पी.एफ.टी. को सूचनार्थ पंजीयन रजिस्टर में स्वयं सहायता समूह का पंजीयन संख्या...../...../...../.....दिनांक.....है।

परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रबंधक का नाम व हस्ताक्षर

प्रपत्र 32

डी.पी.एम.यू. और उत्थान संस्थान के मध्य समझौता घोषणा पत्र

प्रथम पक्षकार	द्वितीय पक्षकार
उत्थान संस्थान का नामः ग्रामः बैक खाता संख्याः बैकः शाखा प्रतिनिधि अध्यक्ष उत्थान संस्थानः नामः पिता/पति का नामः निवासः	डी.पी.एम.यू. जिला..... प्रतिनिधि जिला परियोजना प्रबंधक नामः

1. उद्देश्य–

- इस इकरारनामे के दोनो ही पक्षकार सहभागी प्रक्रियाओं को काम में लेते हुए ग्रामीण गरीब वर्ग के लिए आजीविका का के आवसरों का विकास करने के क्रम में इस समझौते के प्रति अपना संकल्प प्रदर्शित करते है।
- इस इकरारनामें का पहला पक्षकार उत्थान संस्थान है, जो कि गरीब/कमजोर स्वयं सहायता समूह को मजबूती प्रदान करने वाला एक सस्थान है और यह संस्थान विभिन्न सामाजिक/आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर सहभागी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ग्रामीण गरीब वर्ग के लिए आजीविका संबंधी अवसरों का करने के लिए इस समझौते हेतु अपनी रूचि व प्रतिबद्धता जाहिर करता है।
- इस इकरारनामे का दूसरा पक्षकार राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना की जि.प.प्र.इ. है जो कि प्रथम पक्षकार के सदस्यों की सहभागी प्रक्रियाओं को इस्तेमाल में लेते हुए ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों के विकास के प्रति संकलित रहते है और इस तरह उपर्युक्त दोनो पक्षकारों के प्रतिनिधियों के बीच सह समझौता बाध्यकारी बनता है।

2. प्रथम पक्षकार के दायित्वः प्रथम पक्षकार यह वचन देता है कि–

1. यह दूसरे पक्षकार के निर्देशों और मार्गदर्शन के अनुसार गतिविधियों की क्रियान्वित और वित्तिय प्रबन्धन को सुनिश्चित करेगा।
2. परियोजना के तहत केवल पंजीकृत स्वयं सहायता समूह ही उत्थान संस्थान के सदस्य होंगे।
3. यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्राप्त राशि का उपयोग राजस्थान सरकार और विश्वबैक के मध्य हुए करार के अनुसार ही हो।
4. प्रथम पक्षकार द्वारा केवल उन्ही स्वयं सहायता समूहों को वापिस की जाने वाली सहायता फंड राशि मुहैय्या कराएगा जो कि परियोजना के तहत पंजीकृत है और अपेक्षित आवश्यक शर्तो को पूरा करते है।

5. प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार से प्राप्त एक सप्ताह के भीतर स्वयं सहायता समूहों के बैक खाते में जमा कर देगा।
6. प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा किसी विशेष स्वयं सहायता समूह हेतु वापिस की जाने वाली पूर्व सहमत सहायता फंड की पूरी राशि को स्वयं सहायता समूहों बैक खाते में स्थांनातरित कर देगा।
7. प्रथम पक्षकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के पुनर्अदायगी की तिथि सारणी प्राप्त करने के बाद ही वापिस योग्य सहायता फंड राशि को स्थांनातरित किया जाएगा।
8. पजिा पक्षकार वापिसी योग्य सहायता फंड पर वार्षिक ब्याज (साधारण सभा के लिए ब्याज दर से कम नही) का प्रसार लगा सकेगा।
9. किसी स्वयं सहायता समूह के लिए पुनर्अदायगी हेतु अधिकतम अवधि 24 माह से अधिक नहीं हो सकेगी। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पहले पक्षकार की होगी।
10. प्रथम पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि स्वयं सहायता समूह से आजीविका निवेश ट्रांच–1 की पुनर्अदायगी का सुनिश्चितीकरण ट्रांच–2 की प्राप्ति के एक माह पश्चात् ही हो।
11. प्रथम पक्षकार यह भी सुनिश्चित करे कि स्वयं सहायता समूह से प्राप्त आजीविका वापिसी योग्य सहायता फंड उक्त फंड की प्राप्ति 3 माह के भीतर किया जाए।
12. एक माह के भीतर, प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार से प्राप्त राशि का उपयोग प्रमाण पत्र पी.एफ.टी. के मार्फत डी.पी.एम.यू. को भेजेगा (यह राशि आजीविका निवेश टांच 1 आजीविका फंड, स्वास्थ्य जोखिम फंड खाद्य व चारा सुरक्षा के फंड के अलावा होगी।)
13. पुनर्अदायगी हेतु नियत कार्यक्रम के अनुसार प्रथम पक्षकार स्वयं सहायता समूह को प्रदतत् राशि की समय पर वसूली के लिए उत्तरदायी होगा।
14. प्रथम पक्षकार लघुसाख आजीविका का नियोजन को तैयार करने के लिए इसके अंतर्गत आने वाले स्वंय सहायता समूहों को मदद प्रदान करेगा।
15. पहला पक्षकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिकता/लघुसाख आजीविका नियोजना के अनुसार स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य फंड का उपयोग करे।
16. यह स्वयं सहायता समूह के लघुसाख आजीविका नियोजन के तहत सहभागी प्रक्रिया, कुशलता परिश्रम के मार्फत नियत समयावधि में समूह के निश्चित मानकों के तहत चयनित गतिविधि में समूह के निश्चित मानकों के तहत चयनित गतिविधि का पूरा करने मे मदद करेगा।
17. प्रथम पक्षकार स्वयं सहायता समूह द्वारा गतिविधियों के संचालन हेतु सरकारी/गैर सरकारी व बैक संबद्धता प्राप्त कर द्वितीय मदद से कार्य आयोजन के लिए वित्तिय मदद प्राप्त करने में समूहों की सहायता करेगा।
18. पहला पक्षकार स्वयं सहायता समूह के कार्यो का प्रबोधन करे और निर्धारित प्रपत्र में समय रहते दूसरे पक्षकार को सूचना दे।
19. प्रथम पक्षकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह दूसरे पक्षकार द्वारा सभी निर्धारित दस्तावेजों, अभिलेखों और लेखा को संधारित करे।
20. द्वितीय पक्षकार परिसम्पत्तियों/सेवाओं के उचित व कुशल उपयोंग पर स्वयं सहायता समूहो/प्रथम पक्षकारों के सदस्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षणों को आयोजित करें।
21. वह द्वितीय पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधियों को परियोजना क`लेखा, अभिलेखों और कार्य सम्पादन के परीक्षण हेतु अनुमति देगा और उक्त परीक्षण के उपरांत दीग ई सिफारिशों के अनुरूप कार्य करेगा।

III- द्वितीय पक्षकार के दायित्व

द्वितीय पक्षकार यह वायदा करता है कि वह कोई कार्य पूरा करने के लिए दाखिल निर्धारित दस्तावेजों की प्राप्ति से एक माह के भीतर फंड जारी कर देगा। वह परिसम्पत्यिों/से वाहनों उचित उपयोग के लिए स्वयं सहायता समूहो के सदस्यो के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।आजीविका नियोना से जुडी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।

IV- उचित वित प्रबंघन के लिए निम्नांकित क्रियाविधि को काम में लिया जाए।

1. प्रथम पक्षकार परियोजना से प्राप्त राशि को जमा करने के लिए अपना एक बैंक खाता संचालित करेगा और वापिसी योग्य सहायता फंड की किश्तें इसी खाते में जमा की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार के पास एक विधिवत प्रशिक्षित व्यक्ति होगा जो सभी लेखा कार्य एवं बही लेखक आदि के सभी कार्य संपादित करेगा।
3. प्रथम पक्षकार दूसरें पक्षकार द्वारा दिये गए प्रपत्रों के अनुसार लेखा बहियों/दस्तावेंजों का संधारण करेगा।
4. प्रथम पक्षकार इसी दो वाउचरों/बिलों/अन्य संलग्नक दस्तावेजों और बैक खाते की पास बुको की प्रतियों को विधिवत रूप से अनुरक्षित रखेगा।
5. प्रथम पक्षकार नियम समय सीमा में निर्धारित प्रपत्र में एक सांराश रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
6. प्रथम पक्षकार अपने सदस्यों को नियमित रूप से संक्षिप्त रिपोर्ट पेषित करेगा। इस पक्षकार द्वारा यह रिपोर्ट ग्राम सभा या ग्राम के सामुदायिक भवन में भी प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा प्रथम पक्षकार द्वारा आहत बैंठक में संबंधित रसीदे ब्राउचर/बिल/अन्य सहायक दस्तावेज और बैंक पासबुक की प्रतियां भी रखी जाए जिससे सदस्य स्वयं भी इनका अवलोकन कर सके।
7. प्रत्येक माह (बैठक के उपरान्त 7 दिनों के भीतर) प्रथम पक्षकार रिपोर्ट द्वितीय पक्षकार को उपलब्ध कराएगा।
8. प्रथम पक्षकार सभी आवश्यक सहयोग देते हुए सभी लेखाबहियों/विवरणिकाओं/सहायक दस्तावेजों और अन्य सूचनाएं द्वितीय पक्षकार के अधिकृत अंकेक्षण को सुलभ कराएगा।

V- यदि प्रथम पक्षकार इस इकरारनामे के शर्तो या दूसरे पक्षकार के निर्देशों की अनुपालना में असफल रहता है तो द्वितीय पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह खाते को कालित कर सके। अथवा प्रथम पक्षकार द्वारा बैंक खाते में जमा राशि को निकाल सके। यदि प्रथम पक्षकार इकरारनामें के अनुरूप धन का उपयोग नहीं करता हे और अनुमोदित कार्यो के जिए ही राशि का उपयोग नहीं करता है तो दूसरे पक्षकार को पी.डी.आर. के मार्फत उक्त राशि वसूले जाने का पूरा अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

प्रथम पक्षकार– अध्यक्ष, उत्थान संस्थान परियोजना पबन्ध इकाई

द्वितीय पक्षकार– जिला

हस्ताक्षर

नाम

हस्ताक्षर

नाम

गवाहः

1.

2.

<u>ग्रेडिंग प्रपत्र 47</u>

1. फेडरेशन का नाम :
2. पंजीकरण दिनांक :
3. फेडरेशन से जुडे स्वयं सहायता समूह/सी.डी.ओ. की संख्या :

क्रम सं.	विवरण	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1	क्या कार्यकारिणी फेडरेशन को प्रभावी तरीके से संचालित कर रही ह`? • सभी निणर्य स्वयं लेकर कार्य संचालित कर रही है • मध्यम स्तर पर कर पा रही है • नहीं कर रही है	<u>10</u> 7—10 1—7 0	
2	क्या फेडरेशन नियमित रूप से, निर्धारित बैठकें कर रही है ? • सभी बैठकें समय पर हुई है • केवल 70% बैठकें समय से हुई है • 50: से भी कम बैठकें हुई है	<u>10</u> 9—10 4—8 0—3	
3	कार्यकारिणी की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी ? • औसत 80% से अधिक • औसत 60% से 80% के बीच • औसतन 60% से कम	<u>10</u> 7—10 1—7 0	
4	राजस्व आय की क्या स्थिति ? • औसत 80% से अधिक • औसत 60% से 80% के बीच • औसतन 60% से कम	<u>10</u> 7—10 1—7 0	

5	क्या फेडरेशन के पास कार्य प्रबन्धन के लिए आवश्यक मानव संसाधन ? • सभी वित्तिय एवं प्रबन्धकीय कार्य प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा किये जा रहे है • केवल आधे प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा कार्य कराया जा रहा है • एक भी प्रशिक्षत स्टाफ नहीं है	10 7–10 1–6 0	
6	फेडरेशन द्वारा रिकार्डस का रख रखाव :– • पुरी तरह से रखा जा रहा है और रजिस्टर्ड आडिटर द्वारा आडिट कराया जा रहा है • फेडरेशन द्वारा सभी रिकार्ड रखे जा रहे है • रिकार्ड पूरे नहीं है	10 10 5–9 0–5	
7	फेडरेशन का ऋण वापसी प्रवृती क्या है (यदि किसी बैंक, भारत सरकार, एम एफ आई से ऋण लेने की स्थिति में) :– • 95% से अधिक समय पर वापसी • 80% से 95% तक समय पर वापसी • 80% से कम समय पर वापसी	10 9–10 4–8 0–3	
8	फेडरेशन की आत्म निर्भरता (नियमित बैठके, बैक लिंकेज,परियोजनाओं में भागीदारी आदि) :– • बाहरी सहयोग पर निर्भर नहीं • आंशिक रूप से निर्भर है • पुरी तरह बाहरी सहयोग पर निर्भर	10 9–10 4–8 0–3	
9	निम्न स्तर पर संगठन (सी.डी.ओ.इकाई/स्वयं सहायता समूह का लेखा परिक्षा/आडिट) :– • 51% से 100% के बीच • 26% से 50% के बीच • एवं 25% से कम	10 7–10 1–7 0	
10	फेडरेशन से जुड़े समूह की संख्याः– • 50 से अधिक • 26 से 50	10 10 5–9	

	• 25 से कम	0–5	

नोटः– प्रत्येक गुणवत्ता के लिए 0 से 10 के पैमाने पर अंक प्रदान करने है। केवल 75प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले फेडरेशन ही सहायता के लिए पात्र होंगे।

संलग्नक–1

सहमति ज्ञापन

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी./राजीविका) तृतीय तल उधोग भवन, तिलक मार्ग, सी. स्कीम, जयपुर, राजस्थान, (जो आगे चलकर ''आर.जी.ए.वी.पी./ राजीविका '' के रुप में जाना जायेगा, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य मिशन निदेशक जिसमें वे स्वयं या उनके उत्तराधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शामिल होगा) को प्रथम पक्ष के रुप में जाना जाएगा.

और

.....(एस.एच.जी. फेडरेशन),..... (पता), का प्रतिनिधित्व .....फेडरेशन के अध्यक्ष/सचिव या उनके उत्तराधिकारियों शामिल करेगा, जो आगे चलकर द्वितीय पक्ष के रुप में जाना जाएगा.
(आर.जी.ए.वी.पी. और .....एस.एच.जी. फेडरेशन बाद में सामूहिक रुप में ''पक्षों'' के और व्यक्तिगत रुप में ''पक्ष'' के लिए जाना जाएगा)

के बीच

यह सहमति ज्ञापन.....(दिन).....(माह) 201..... को .....(स्थान) पर किया जाता है।

अतेव–

.....(एस.एच.जी. फेडरेशन) आर.जी.ए.वी.पी. से जुडकर उसकी परियोजनाओं में दोनों पक्षों में आपसी सहयोग बढाने की अपेक्षा करती है।।

इस सहमति ज्ञापन के साक्ष्य संदर्भ निम्न प्रकार रहेंगे :–

1. भागीदारी का क्षेत्र (स्कोप)

इस सहमति ज्ञापन का उद्देश्य .....(एस.एच.जी. फेडरेशन) की परियोजना के अनुसार संस्थागत क्षमता को बढाना है। साझेदारी के व्यापक दायरे में शामिल है (आवश्यक्ता के अनुसार) :–

- स्वयं सहायता समूहों में विशेष बचत के माध्यम से बचत बढाना।
- बैंको के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
- स्वयं सहायता समूहों को जोखिम सहन करने के लिये उचित बीमा उत्पादों के तहत सदस्यों को बीमा सुविधायें उपलब्ध कराना।
- महिला सदस्यों को उनके विभिन्न सरकारी स्कीमों में उनका हक दिलाने में सहयोग करने के लिये (जैसे नरेगा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं आदि में) फेडरेशन की भूमिका को निर्धारित करना।

- समूहों और सी.डी.ओ./उत्थान संस्थान के मध्य फेडरेशन की सेवाओं और भूमिकाओं की जानकारी बढाना।
- फेडरेशन कर्मचारियों और कार्यकारिणी (बोर्ड आफ डायरेक्टर) का क्षमता निमार्ण करना जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को परियोजना के अनुसार निभा सकें।
- उचित प्रबन्धन अभ्यासों को लागू कराना जैसे वार्षिक रिपोर्ट, फेडरेशन का ब्रोचर, वार्षिक योजना बनाना, वार्षिक योजना को अभ्यास में लाना, स्टाफ का, सी.डी.ओ. का और स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकन एवं आन्तरिक नियंत्रण करने के लिए व्यवस्था बनाना।
- संगठन का लाभ बढाना जिससे कि उसकी आरक्षित निधी तैयार हो।

2. <u>प्रत्येक भागीदार की जिम्मेदारी और भूमिका</u> :–

..... स्वयं सहायता समूह फेडरेशन की भूमिका

- फेडरेशन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं को साझा करना।
- सदस्यों/मुखियाओं और स्टाफ की निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थिति व भागीदारी की सुनिश्चित करना।
- विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गये उत्तम संस्थागत अभ्यासों (best practices)को अपनाना।
- वर्तमान संरचना में आवश्यक बदलाव करना और सभी स्तर पर फेडरेशन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना।
- पारदर्शिता और खुलेपन से फेडरेशन से संबंधित सूचनाएं एवं परियोजना से संबन्धित वित्तीय मामलों की जानकारी साझा करना।

3. <u>राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की भूमिका</u> :–

- परियोजना के अनुसार, फेडरेशन द्वारा मानदन्डों को पूरा करने की स्थिति में आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- ऋण के लिए बैंकों से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के लिए फेडरेशन को सहयोग करना।
- बीमा कम्पनीयों, सरकारी विभागों और अन्य संस्थानो से सहयोग के लिए फेडरेशन का सम्बन्ध बनाने में मदद करना।
- एम.आई. एस. को संधारण करने में सहयोग देना।
- फेडरेशन के मुखियाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हे प्रशिक्षण कराने में मदद करना।
- फेडरेशन को बही–खाता रखने में और अन्य सभी तरह की रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग करना।
- फेडरेशन को वार्षिक प्रतिवेदन बनाने, ब्रोचर बनाने और बही–खाता की अंकेक्षण आडिट करने में सहयोग करना।

4. <u>लागू करने की व्यवस्था</u> :–

भागीदारी के अन्दर सहमत कार्यो को लागू करने के लिए .....(स्वयं सहायता समूह फेडरेशन) एक अनुभवी व्यक्ति को मैनेजर के रूप में नामित करेंगे। जोकि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के साथ समन्वय करेगा। यह भागीदारी लागू करने के लिए.....

.....(स्वयं सहायता समूह फेडरेशन) कार्यकर्ता.....(पता एंव मोबाइल नं0) को नामित किया गया।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अपने परियोजना के अधिकारी को एक एकल बिन्दु सम्पर्क व्यक्ति के रूप में पदस्थापित करेगें। इस सहमति ज्ञापन के लिए.....
....(पता एवं मोबाइल नं0) को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद परियोजना की ओर से नामित किया गया।

5. भागीदारी की अवधि :–

इस भागीदारी की सहमति ज्ञापन की अवधि.....वर्ष सहमति ज्ञापन की तारीख से मान्य होगा। यह अवधि आगे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बढायी जा सकती है।

6. धन का उपयोग :–

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अपनी क्षेत्री संघ/फेडरेशन की वित्तीय नीति के अनुसार परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायेगा। उपलब्ध कराई गई धनराशी को फेडरेशन नीति में निर्धारित गतिविधियों में ही उपयोग कर सकतें है। यदि कोई परिवर्तन समय या गतिविधियों में किया जाता है तो इसके लिये परिषद को जानकारी देना एवं सहमति लेना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं होने पर सहमति ज्ञापन को समाप्त कर दिया जावेगा।

7. रिपोर्टिंग व मूल्यांकन व्यवस्था :–

डी.पी.एम.यू.....(जिला) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद परियोजना की ओर से भागीदारी का मूल्यांकन और उसकी प्रगति की समीक्षा करेगें। डी.पी.एम.यू.....
.....(स्वयं सहायता समूह फेंडरेशन) से मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा के लिए मिलेगे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना परिषद के स्टेट मिशन डायरेक्टर, उपयुक्त अधिकारी को प्रगति समीक्षा के लिए नामित कर सकते है और जानकारी ले सकते है।
भागीदारी क्रियान्वयन में किसी भी तरह का विचलन पाये जाने पर उसे दूर करने के लिये प्रत्येक भागीदार उचित कार्यवाही करेगा। धन की अन्य गतिविधियों में उपयोग और असंतोष जनक प्रगति सहमति ज्ञापन की समाप्ति का आधार होगा।

8. सहमति ज्ञापन निलम्बन : –

यदि.....(स्वयं सहायता समूह फेडरेशन) नियम व शर्तो को भंग करती है तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को इस सहमति ज्ञापन के निलम्बन का अधिकार होगा।

9. निलम्बन होने पर भुगतान :–

सहमति ज्ञापन के निलम्बन होने की स्थिति मे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद .....
.....(स्वयं सहायता समूह फेडरेशन) को निम्नलिखित भुगतान करेगा।

1. सभी संतोषप्रद सेवाओं का भुगतान जोकि निलम्बन की तिथि से पूर्व में की गई और

2. .....(स्वयं सहायता समूह फेडरेशन) सभी तरह के खाते जोकि एडवांस के रूप में प्राप्त किये है को सहमति ज्ञापन के निलम्बन होने पर समायोजित करेगी।

10. <u>व्यय का लेखा और लेखा परिक्षा</u> :–

.....(एस.एच.जी. फेडरेशन) को सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड रखना होगा। यह चार्टर्ड एकाउटेंटस द्वारा प्रत्येक वर्ष और /या अंतिम किस्त वास्तविक समझौता ज्ञापन के तहत निर्णय के अनुसार व्यय की पुष्टि, अतिन्म भुगतान रिलीज से पहले.....(एस.एच.जी.संघ) एक लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र देना होगा। आर.जी.ए.वी.पी. के आंतरिक लेखा परीक्षक को समझौता ज्ञापन विशिष्ट व्यय की समीक्षा करने की अनुमती होगी।

11. <u>अप्रत्याशित घटना</u> :–

परिभाषा : इस समझौता के प्रयोजनों के लिए, ''अप्रत्याशित घटना'' एक घटना है जो कि किसी भी पक्ष के उचित नियंत्रण से परे है, जो पूर्वाभासी नहीं हैं, जो अपरिहार्य हैं, और जो एक पक्ष/पार्टी के प्रदर्शन को असंभव बनाती है और यथोचित परिस्थितियों के रुप में असंभव माना जाता है, अव्यावहारिक हैं और उन आवश्यकताओं के विषय के तहत शामिल हैं, लेकिन उन तक सीमित नहीं हैं, युद्व, दंगे, नागरिक विकार, भूकंप, आग, विस्फोट, तुफान, बाढ या अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति, हडताल, तालाबंदी, या अन्य कार्रवाई जब्ती या किसी अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्रवाई।

अप्रत्याशित घटना में शामिल नहीं होगा :

(1) कोई भी घटना जो एक पक्ष/पार्टी द्वारा जानबूझकर की गयी या कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होता है, **और न ही**

(2) कोई भी घटना जो एक मेहनती पक्ष/पार्टी जो कि अपेक्षा के उनुरूप परिणाम दे सकता है परन्तु इस समझोते के समापन के समय अपने आप को बचने के लिए या अपने दायित्वों को पुरा करने में असफल हो, शामिल नहीं होगा।

अप्रत्याशित घटना के अन्तर्गत किसी भी भुगतान के लिए आवश्यक धन की कमी या विफलता शामिल नहीं होगा।

12. <u>सहमति ज्ञापन का उल्लंघन</u> :–

एक पक्ष/पार्टी के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता/डिफाल्ट को सहमति ज्ञापन का उल्लघन माना जाएगा। अप्रत्याशित घटना की स्थिति में यदि एक पार्टी द्वारा यदि समुचित प्रयास किया गया हो तो इसे सहमति ज्ञापन का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

13. <u>समाप्ति</u> :–

इस सहमति पत्र पर 30 दिनों की एक लिखित सूचना दे कर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

<u>समाप्ति पर भुगतानः</u>

इस सहमति ज्ञापन के समापन पर आर.जी.ए.वी.पी.....(एस.एच.जी. फेडरेशन) निम्नलिखित भुगतान करेगाः–

(क) आर.जी.ए.वी.पी. द्वारा.....(एसएचजी फेडरेशन) को सेवा समाप्ति की प्रभावी तिथि या सहमति ज्ञापन समाप्ति की प्रभावी तिथि तक के संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन के लिए किए गए व्यय का भुगतान परियोजना के अनुसार करेगा।

(ख) सहमति ज्ञापन समाप्ती से पूर्व फेडरेशन द्वारा लिये गये समस्त अग्रिम का निस्तारण कराया जाएगा।

14. संशोधन :–

इस सहमति ज्ञापन में दोनों पक्षों के आपसी लिखित सहमति द्वारा संशोधन किया जा सकता है। समझौते में किसी भी प्रकार का संशोधन कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा। ये संसोधन इस सहमति ज्ञापन के अनुपूरक सहमति ज्ञापन द्वारा सहमति ज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व होगा।

15. परस्पर सम्मत समझौता :–

दोंनों पक्ष किसी भी विवाद पर पहले आपसी परामर्श के द्वारा मित्रभाव से हल की तलाश करेगा।

आपस में विवाद समाधान न होने पर :–

दोनों पक्षों के बीच किसी भी विवाद के उत्पन्न होने या इस सहमति ज्ञापन को मित्रभाव से नहीं सुलझा ना सकने की स्थिति में शासन सचिव ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम होगा।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) और ..... (एसएचजी फेडरेशन) द्वारा ये समझौता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नीचे लिखी तिथि को गवाहों की साक्षी के साथ हस्ताक्षरित किया गया।

आर.जी.ए.वी.पी. के लिए **.....(एसएचजी संघ)**

हस्ताक्षर : **हस्ताक्षर :**

दिनांक : **दिनांकः**

गवाह :

नाम :

पदनाम :

पताः